ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2018 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए यू0पी0पी0जी0 आयुष प्रथम काउंसिलिंग 2018 (UPPG AYUSH 1st Counseling 2018)

सीटों के आवंटन की प्रक्रिया ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2018 की परिणाम सूची को अंगीकार करते हुये उ0प्र0 की स्टेट मेरिट रैंक एवं विकल्प के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से की जायेगी। काउंसिलिंग में बुलाने मात्र से आवेदक की अर्हता एवं यू0पी0पी0जी0 आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) 2018 पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा।

01. काउसिलिंग हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा।
02. काउसिलिंग के समय प्रवेश हेतु सीटों का विवरण वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराया जायेगा।
03. यू0पी0पी0जी0 आयुष–2018 में राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध सीटों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र दिनांक 31.3.2018 के बाद का निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
04. काउसिलिंग के समय भी अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक स्कैन, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट आदि लिया जायेगा। अभ्यर्थी की अंगुलियों पर किसी भी प्रकार का पेण्ट, रंग अथवा मेहन्दी आदि नहीं लगी होनी चाहिये।
05. काउंसिलिंग में अभ्यर्थी मेरिट सूची में स्टेट मेरिट रैंक के अनुसार उपस्थित होगें तथा उन्हें उपलब्ध विकल्पों में से ही विकल्प चुनना होगा।

यू0पी0पी0जी0 आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) 2018 में काउंसिलिंग सबंधी सूचनाः

काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु उत्तर प्रदेश में अधिकृत वेबसाइट www.saclko.com पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होना होगा। काउन्सिलिंग स्टेट मेरिट रैंक के आधार पर की जायेगी। काउन्सिंलिंग हेतु अभ्यर्थी को अधिकृत वेबसाइट www.saclko.com पर उपलब्ध लिंक के द्वारा धरोहर राशि (राजकीय क्षेत्र के महाविद्यालयों के लिए रु0 10,000/– तथा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों के लिए रु0 25,000/–) लिंक पर दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेख मूल तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति की एक प्रति अपने साथ अवश्य लायें।

1– ऑनलाईन पंजीकरण का प्रिण्ट आउट।
2– धरोहर राशि का प्रिंट आउट।
3– ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2018 के स्कोर कार्ड एवं एडमिट कार्ड।
4– अभ्यर्थी के समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्र (हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र तथा बी0ए0एम0एस0 अथवा समकक्ष/बी0यू0एम0एस0 अथवा समकक्ष/ बी0एच0एम0एस0 अथवा समकक्ष के समस्त अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।)

5– काउन्सिलिंग की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।

6– उ0प्र0 आयुर्वेद यूनानी एवं तिब्बी परिषद लखनऊ में रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित प्रदेश में पंजीकृत होन का पमाण पत्र (उ0प्र0 में प्रवेश के 01 माह में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा)।

7– ऑन–लाइन आवेदन (AIAPGET–2018) के समय अपलोड किये गए फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों, उसी से बने हुए दो फोटोग्राफ।

8– आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों)। **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र 31.03.2018 के बाद का निर्गत होना चाहिए।**

नोटः– यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात् त्यागपत्र दे देता है, तो धरोहर धनराशि वापस नहीं की जायेगी तथा अगली काउन्सिलिंग हतु उस अभ्यर्थी को धरोहर राशि पुनः जमा करनी होगी।

काउन्सिलिंग की समय सारिणी

काउन्सिलिंग स्थल का नाम– राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, तुलसीदास मार्ग, टूड़ियागंज, लखनऊ				
क0 सं0	**आंमत्रित अभ्यर्थी**	**प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं पंजीकरण**	**काउन्सिलिंग की तिथि**	**अर्हता सम्बन्धी विवरण**
1	AIAPGET 2018 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए उ0प्र0 राज्य में अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकृत आयुर्वेद, विधा के स्टेट मेरिट रैंक 01 से 125 तक के अभ्यर्थी ।	दि0 28.09.2018 (शुक्रवार) प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बज तक।	दि0 28.09.2018 (शुक्रवार) अपराह्न 2:00 बज से।	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को AIAPGET 2018 में 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनु0 जाति, अनु0जनजाति एवं अ0पि0 वर्ग) के अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
2	AIAPGET 2018 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए उ0प्र0 राज्य में अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकृत आयुर्वेद विधा में 126 से 196 तक के एवं होम्योपैथिक विधा के समस्त (1 से 16 तक) समस्त अभ्यर्थी	दि0 28.09.2018 (शुक्रवार) प्रातः 2:00 बजे से अपराह्न 5:00 बज तक।	दि0 29.09.2018 (शनिवार) प्रातः 10:00 बजे से	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को AIAPGET 2018 में 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनु0 जाति, अनु0जनजाति एवं अ0पि0 वर्ग) के अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

नोटः— 1. उ0प्र0 राज्य के आरक्षित श्रेणी (अनु0 जाति, अनु0जनजाति एवं अ0पि0 वर्ग) के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उ0प्र0 की राजकीय क्षेत्र की स्टेट कोटा सीटों के लिए अर्ह होंगें। राजकीय क्षेत्र की अन्य प्रदेश कोटा की समस्त सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगीं। निजी क्षेत्र की समस्त सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगीं।

2. आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विधा की राजकीय एवं निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सत्र 2018—19 हेतु मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में ही काउन्सिलिंग की जायेगी।

3. द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग की सूचना पृथक से वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति काउन्सिलिंग से पूर्व अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रो0 सुरेश चन्द्र
अध्यक्ष, यू0पी0पी0जी0 आयुष काउन्सिलिंग/
निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0।